**<u>कार्यालय आदेश</u>**

संदर्भ संख्या - **टीएचडीसी/ऋषि/सीएस/एफ 125/6878** **दिनांक 08.06.2022**

विषय - **<u>टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की संबधित पक्षकार लेनदेन (आरपीटी) नीति।</u>**

बोर्ड ने 13.05.2022 को आयोजित हुई अपनी 223वीं बैठक में सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 23 के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की संबंधित पक्षकार लेनदेन नीति को मंजूरी प्रदान की है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरपीटी नीति बोर्ड के अनुमोदन के साथ आवश्यक अनुपालन के लिए सलंग्न है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

**<u>वितरण</u>** - समस्त कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक/यूनिट प्रमुख/विभागाध्यक्ष

**<u>प्रतिलिपि -</u>**

1. तकनीकी सचिव- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सचिवालय, ऋषिकेश
2. तकनीकी सचिव- निदेशक(वित्त), ऋषिकेश

गोपनीय

संख्या- टीएचडीसी/ऋषि/ सीएस/बीओडी-223/3280 दिनांक- 08.06.2022

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश
13.05.2022 को आयोजित 223वीं बोर्ड बैठक के
कार्यवृत्त का सार

आइटम नंबर और विषय-

223.8 **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में टीएचडीसी (आरपीटी) नीति 2022 में संबधित पक्षकार लेनदेन नीति के गठन का प्रस्ताव।**

बोर्ड द्वारा **टीएचडीसी- आरपीटी नीति 2022** पर विचार किया गया तथा उसे मंजूरी प्रदान कर निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए-

**मंजूरी प्रदान करने का संकल्प**- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड-आरपीटी नीति 2022 सेबी (एलओडीआर) के नियम 23 के अनुसार तैयार किये गये एंजेंडा नोट को अनुलग्नक-1 में रखा गया है, जो संबधित पक्षकार लेन-देन की अहमियत को ध्यान में रखकर सुशासित करेगा और संबधित पक्षकार से लेन-देन की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा।

प्रमाणित प्रतिलिपि

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

**प्रतिलिपि- वितरण सूची के अनुसार**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

आरपीटी नीति 2022

# संबंधित पक्षकार से लेन-देन की महत्ता
# एवं
# संबंधित पक्षकार से व्यवहारिक लेन-देन की नीति

# संबधित पक्षकार लेन-देन नीति

## संबधित पक्षकार के साथ लेन-देन की नीति और संबंधित पार्टी से व्यवहारिक लेन-देन

### 1. प्रयोज्यता और प्रभावी तिथि

कम्पनी ने संबंधित पक्षकार से लेन-देन की व्यवहारिकता और लेन-देन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नीति तैयार की है, यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

यह नीति समय-समय संशोधित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के आधार पर कंपनी और उसके संबधित पक्षकारों के बीच लेन-देन के लिए तैयार की गयी है।

### 2. उद्देश्य

यह नीति सुरक्षा और विनिमय बोर्ड, भारत सरकार के विनियम 23(1) (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 (सेबी एलओडीआर, 2015) की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार गयी है जिसका उद्देश्य कंपनी और उसके संबंधित पक्षकारों के बीच लेन-देन के उचित अनुमोदन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

यह नीति परिशिष्ट कंपनी की अन्य नीतियों और प्रथाओं/प्राधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल/ प्राधिकारियों के मैनुअल आदि की अनुपूरक होगी, जिसके लिए निर्दिष्ट तरीके से और निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा अनुबंधों या व्यवस्था के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि कई कानूनों और विनियमों के लागू होने के कारण अपेक्षाओं के एक से अधिक सैट मौजूद हैं तो अनुपालन सिद्धांतों के आधार पर प्रयास किए जाने चाहिए जो उच्चतम सुशासन मानकों को पूरा करते हों।

### 3. परिभाषाएं

**"आर्मस लेन्थ लेनदेन"** का अर्थ है दो संबधित पक्षों के बीच लेनदेन इस प्रकार किया जाए कि जिस प्रकार वे एक दूसरे से संबंधित न हों।

**"सहयोगी कंपनी"** का अन्य कंपनी के साथ संबंध का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जिसमें किसी अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव हो परंतु वह जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है तथापि उसमें एक संयुक्त उदद्यम कंपनी के रूप में सम्मिलित है।

**"लेखा परीक्षा समिति"** का अर्थ है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति।

**"बोर्ड"** का अर्थ है टीएचडीसी का निदेशक मंडल।

**"कंपनी अधिनियम 2013"** का अर्थ है कि कंपनी अधिनियम 2013, जैसा कि समय- समय पर संशोधित किया गया है।

**"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक"** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(51) के अनुसार परिभाषित होंगे।

**व्यवहारिक संबंधित पक्षकार लेनदेन-** किसी संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन तभी व्यवहारिक माना जाएगा यदि ऐसा लेनदेन व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ अग्रेषित किया गया है और यह एक हजार करोड़ रूपये या सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उसके वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत जो भी कम हो से अधिक होना चाहिए।

**"व्यवहारिक संशोधन"** कोई संशोधन जिसमें संबंधित पक्षकार लेनदेन के मूल अनुमोदन से 10 प्रतिशत या अधिक का प्रभाव हो।

**"कार्यालय या लाभ का स्थान" -** कार्यालय या लाभ का स्थान का अर्थ है कि-

i. कोई कार्यालय या स्थान जो निदेशक द्वारा धारण किया जाता है और यदि धारण करने वाला निदेशक कंपनी से पारिश्रमिक के रूप में वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, निशुल्क आवास या अन्यथा भी जो प्राप्त करता है, जिसका व पात्र है।

ii. ऐसा कार्यालय या स्थान जहां किसी निदेशक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी फर्म, निजी कंपनी या अन्य निकाय कार्पोरेट द्वारा पारिश्रमिक या वेतन के रूप में शुल्क, कमीशन, अनुलाभ या निशुल्क आवास या अन्यथा प्राप्त किया जाता है।

**"व्यवसाय का सामान्य तरीका"**- इसमें व्यापर के लिए आवश्यक सामान्य और प्रासंगिक गतिविधियां आती हैं परन्तु सिर्फ इन्हीं गतिविधियों की परिभाषा तक सीमित न हो। यह व्यापारिक लेनदेन के सामान्य तरीके एवं रितियां हैं। कानूनी तौर पर व्यापार के सामान्य तरीके में एक निश्चित व्यवसाय और एक निश्चित फर्म के सामान्य लेनदेन के रीति रिवाजों और तरीकों को शामिल किया जाता है। व्यापार के सामान्य तरीके का निर्धारण करने के लिए सांकेतिक कारक निम्नानुसार हैं-

**(i)** क्या आपके विशिष्ट व्यापार के तरीके सामान्य हैं अथवा अन्यथा विचारणीय हैं (अर्थात आपके सिस्टम की विशेषताएं, प्रक्रियाएं, विज्ञापन, स्टाफ प्रशिक्षण आदि।)

**(ii)** ऐसा बारंबार होता है या नियमित रूप से होता है।

**(iii)** पर्याप्त मात्रा में धन शामिल है।

**(iv)** क्या आपके व्यापार के आय के साधन उपलब्ध हैं।

**(v)** पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं।

**(vi)** ग्राहकों को पेश किए जाने हेतु सेवा या उत्पाद की श्रेणी में शामिल है।

**"संबंधित पार्टी"**

सेबी के विनियमों के अनुसार

संबंधित पक्षकार के अर्थ में निम्न परिभाषित है-

i. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा (76) या

ii. लागू लेखांकन मानकों के तहत

**बशर्ते कि-**

(क) सूचीबद्ध इकाई के प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा बनने वाला कोई व्यक्ति या संस्था या

(ख) इक्विटी शेयर धारण करने वाला कोई व्यक्ति या कोई संस्था

(i) बीस प्रतिशत या उससे अधिक या

(ii) 1 अप्रैल 2023 से 10 प्रतिशत या उससे अधिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के तहत सीधे या लाभकारी ब्याज के आधार पर सूचीबद्ध इकाई में तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय एक संबंधित पक्षकार माना जायेगा।

I. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(76) और उसके तहत बनाए गये नियमों के अनुसार कंपनी के संदर्भ में संबधित पार्टी का अर्थ है-

(i) कोई निदेशक या उसका रिश्तेदार

(ii) कोई प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसका रिश्तेदार

(iii) कोई फर्म जि□समें एक निदेशक, प्रबंधक या उसका रिश्तेदार भागीदार है।

(iv) कोई निजी कंपनी जि□समें उसके रिश्तेदार का निदेशक या प्रबंधक सदस्य या निदेशक होता है।

(v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक, एक निदेशक है और अपने रिश्तेदारों सहित अपनी चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है।

(vi) कोई निकाय कार्पोरेट जि□सका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह निर्देशों के अनुसार कार्य करता है।

(vii) कोई व्यक्ति जि□सके कहने या निर्देश पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करता है।

**बशर्ते** कि उपखंड (vi) और (vii) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गयी सलाह या निर्देशों पर लागू नहीं होगा।

(viii) कोई भी निकाय कारपोरेट जो-

(क) किसी कंपनी की धारक, सहायक या संबंद्ध कंपनी हो।

(ख) होल्डिंग कंपनी की एक सहायक कंपनी जिसके लिए यह एक सहायक कंपनी भी है या

(ग) एक निवेश कंपनी या कंपनी का उपक्रम

(ix) कोई निदेशक 1 (एक स्वतंत्र निदेशक के अलावा) या किसी कंपनी के संदर्भ में होल्डिंग कंपनी या उसके रिश्तेदार के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को संबधित पक्षकार माना जाएगा।

(x) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जा सके।

II. लागू लेखा मानकों के तहत संबधित पक्षकार निम्नानुसार हैं-

**लेखांकन मानक 18**

पार्टियों को संबंधित माना जाता है यदि रिर्पोटिंग अवधि के दौरान किसी भी समय एक पार्टी में दूसरे पक्ष को नियंत्रित करने या वित्तीय और/या परिचालन निर्णय लेने में दूसरे पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता हो।

(क) ऐसे उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या अधिक बिचौलियों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं या रिर्पोटिंग उद्यम के सामान्य नियंत्रण में हो (इसमें होल्डिंग कंपनियां, सहायक या साथी सहायक कंपनियां शामिल हैं)

(ख) रिर्पोटिंग उदयम और निवेश पक्ष या उदयम के सहयोगी और संयुक्त उपक्रम जिसके संबंध में रिर्पोटिंग उद्यम एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम है।

(ग) रिर्पोटिंग उद्यम की मतदान शक्ति में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रूचि रखने वाले व्यक्ति जो उन्हें और ऐसे किसी भी व्यक्ति के रिश्तेदारों पर नियत्रंण या महत्वपूर्ण प्रभाव देता है।

(घ) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और ऐसे कार्मिकों के रिश्तेदार और

(ङ) उदयम वह हैं जिनमें श्रेणी सी या डी में वर्णित कोई भी व्यक्ति विशिष्ट प्रभाव का प्रयोग करने में सक्षम है। इसमें निदेशकों या रिर्पोटिंग उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्व वाले उदयम शामिल हैं एवं ऐसे उद्यम जिनके पास सामान्यतया रिर्पोटिंग उद्यम के प्रमुख प्रबंधन के सदस्य हैं।

**भारतीय लेखांकन मानक 24**

संबधित पार्टी एक व्यक्ति या इकाई है जो उस इकाई से संबधित है जो अपना वित्तीय विवरण तैयार करती है (इस मानक में रिपोर्टिंग इकाई के रूप में संदर्भित)

(क) कोई व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई करीबी सदस्य किसी रिर्पोटिंग इकाई से संबधित है यदि व्यक्ति

i) रिर्पोटिंग इकाई के नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण में है।

ii) जिसका रिपोर्टिंग इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है।

iii) रिपोर्टिंग इकाई या उसकी मूल इकाई का प्रमुख प्रबंधन कार्मिक है।

(ख) यदि निम्न में से कोई भी शर्त लागू होती है तो एक इकाई एक रिपोर्टिंग इकाई से संबधित है:

i) इकाई और रिर्पोटिंग इकाई एक ही समूह के सदस्य हैं (अर्थात प्रत्येक स्थापन इकाई, सहायक और साथी सहायक एक दूसरे से संबधित है।

ii) एक इकाई दूसरी इकाई की सहयोगी या संयुक्त उदयम है (या किसी समूह के किसी सदस्य की सहयोगी या संयुक्त उदयम की अन्य इकाई सदस्य है)

iii) दोनों संस्थाएं एक ही तीसरे पक्ष की संयुक्त उदयम है।

iv) एक इकाई तीसरी इकाई का संयुक्त उपक्रम है और दूसरी इकाई की सहयोगी है।

v) संस्था या तो रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई से संबिधित इकाई के कर्मचारियों के लाभ के लिए रोजगार के बाद लाभ योजना है। यदि रिर्पोटिंग इकाई स्वयं कोई योजना है तो ऐसी योजना के अंतर्गत प्रायोजक नियोक्ता भी रिर्पोटिंग इकाई से संबधित होंगे।

vi) इकाई श्रेणी (क) में पहचाने गये व्यक्ति दवारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित होती है।

vii) श्रेणी क(1) में पहचाने गए व्यक्ति का संस्था पर विशिष्ट प्रभाव है या वह इकाई के प्रमुख प्रबंधन कर्मी (स्थापन इकाई) का सदस्य है।

viii) इकाई या समूह का कोई भी सदस्य जिसका वह हिस्सा है, रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई की मूल कंपनी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की सेवाएं उपलब्ध कराता है।

**संबंधित पक्षकार लेनदेन** का अर्थ है कि संसाधनों, सेवाओं एवं दायित्व के हस्तांतरण से संबधित लेनदेन:

i एक तरफ सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी और दूसरी तरफ सूचीबद्ध कंपनी संबंधित पक्षकार या इसकी सहायक कंपनियां या

ii एक तरफ सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी और दूसरी तरफ अन्य व्यक्ति या इकाई जिसका उद्देश्य 1 अप्रैल 2023 से सूचीबद्ध इकाई के संबंधित पक्ष को लाभ पहुंचाना है इस विषय पर ध्यान दिये बिना कि क्या कीमत वसूल की जाती है और संबंधित पक्ष के साथ किये गये लेन-देन को अनुबंध में एकल लेनदेन या लेनदेन के समूह को शामिल माना जायेगा।

**बशर्ते** कि निम्नलिखित संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन नहीं होगा-

क) अधिमानी आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियो का निर्गमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम 2018 के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्यधीन है। (पूंजी का निर्गमन एवं पारदर्शिता की मांग)

ख) सूचीबद्ध इकाई द्वारा निम्नलिखित कारपोरेट कार्रवाइयां जो सभी शेयरधारकों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में समान रूप से लागू/प्रस्तावित है-

i लाभांश का भुगतान

ii प्रतिभूतियों का उपविभाजन या समेकन

iii राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के जरिए प्रतिभूति जारी करना

iv प्रतिभूतियों की पुन: खरीदारी

ग) बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में शेयर धारकों/ जनता को बैंको/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा स्वीकार की गई सावधि जमा के साथ पिछले छह माह में स्टॉक एक्सचेंजों में संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण करना आवश्यक है।

**बशर्ते** कि आगे यह परिभाषा म्यूचुअल फंड द्वारा जारी इकाइयों जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं के लिए लागू नहीं होगी:

**सं**बधित पार्टी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 में सभी अनुबंध या व्यवस्थाएं शामिल हैं:

(क) किसी भी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति

(ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटाना या खरीदना

(ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना

(घ) किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना

(ड़) माल, सामग्री, सेवाओं, संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी ऐजेंट की नियुक्ति

(च) ऐसे संबधित पार्टी की सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी की कंपनी में किसी कार्यालय या लाभ के स्थान पर नियुक्ति और

(छ) कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सदस्यता का बीमा करना

किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में "रिश्तेदार" का अर्थ है कोई भी जो दूसरे से **संबंधित है** यदि-

(i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं

(ii) वे पति और पत्नी हैं या

(iii) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार संबंधित है:

क. पिता (सौतेले पिता सहित)

ख. मॉ (सौतेली माँ सहित)

ग. पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)

घ. बेटे की पत्नी

ङ. बेटी

च. बेटी का पति

छ. भाई (सौतेला भाई सहित)

ज. बहन (सौतेली बहन सहित)

**सेबी एलओडीआर, 2015** का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और पारदर्शिता या सार्वजनिकता की मांग) विनिमय 2015 और समय-समय पर संशोधित।

किसी अन्य कंपनी के संबध में "सहायक कंपनी" (अर्थात होल्डिंग कंपनी) का अर्थ है एक कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी-

(i) निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है या

(ii) कुल मतदान शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग अथवा नियंत्रण या तो स्वयं या इसकी एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ करती है।

**बशर्ते** कि होल्डिंग कंपनियों के ऐसे वर्ग जो निर्धारित किए जा सकते हैं, में सहायक कंपनियों की शाखाएं संख्या में इतनी अधिक नहीं होंगी जो निर्धारित नहीं की जा सकती।

इस खंड के उद्देश्यों के लिए-

क) किसी भी कंपनी को होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी माना जाएगा, भले ही उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में संदर्भित नियंत्रण किसी अधिकार वाली कंपनी की सहायक कंपनी का है।

ख कंपनी के निदेशक मंडल का संयोजन यह माना जाता है कि इसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी के द्वारा किया जाना है यदि उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है। यह अपने विवेक से सभी या अधिकांश निदेशको को नियुक्त या हटा सकता है।

ग. कंपनी से आशय किसी निकाये कारपोरेट से है।

घ. धारक कंपनी के संबंध में " लेयर" से तात्पर्य इसकी सहायक या सहायक कंपनी से है।

संबंधित कंपनी के साथ " **लेनदेन** " में एक लेनदेन या एक से अधिक लेनदेन शामिल हैं ।

इस नीति में प्रयोग होने वाली सभी निबंधन लेकिन उन्हें यहां पर परिभाषित न किया गया है, को अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत दिए गए अर्थ के अनुसार एवं एसईबीआई एलओडीआर, 2015 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित अनुसार माना जाएगा।

## 4. संबंधित पक्ष लेनेदेन का अनुमोदन एवं समीक्षा

संबंधित पक्षकार के सभी लेनेदेन के अनुमोदन इस नीति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे । लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन परिसंचरण के माध्यम से भी प्रदान किया जा सकता है।

अपवाद रूप में, ऐसे मामले में जहां अनजाने में हुई भूल या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूर्व में अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो, में लेखा परीक्षा समिति इस नीति, अधिनियम या एसईबीआई एलओडीआर, 2015 के अनुसार लेनेदेन की पुष्टि करेगी।

परियोजना पर परियोजना प्रमुख(एचओपी) तथा कारपोरेट कार्यालय में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष इस नीति के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने(जिसमें सर्वमान्य एवं अनुसमर्थन अनुमोदन सहित) हेतु संबंधित पक्षों के साथ लेन देन करने के लिए कार्यसूची बनाने हेतु उत्तरदायी होंगे । प्रस्ताव को संबंधित कार्यकारी निदेशक के माध्यम से कंपनी सचिव को भेज दिया जाएगा । कंपनी सचिव प्रस्तावों का संकलन करके निदेशक (वित्त) के अनुमोदन के पश्चात लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

**जेवी/ सहायक कंपनियों में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति**

कारपोरेट मानव संसाधन विभाग निदेशक(मा.सं.) के माध्यम से अनुमोदन हेतु समेकित कार्यसूची प्रस्तुत करेगा।

**जेवी/ सहायक कंपनियों में बाद के निवेश/ऋण/प्रतिभूति हेतु**

कारपोरेट नियोजन विभाग निदेशक(तकनीकी) के माध्यम से अनुमोदन हेतु समेकित कार्यसूची प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त विभागाध्यक्ष त्रैमासिक आधार पर कार्यसूची, इस नीति के बिन्दु संख्या 4.1.2 के अंतर्गत सर्वमान्य अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कंपनी द्वारा प्रविष्ट किया हुआ आरपीटी विवरण लेखापरीक्षक समिति को समीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के पश्चात, कंपनी सचिव कार्यसूची को अनुमोदन हेतु आवश्यक होने पर निदेशक मण्डल या हितधारकों के समक्ष रखेगा।

### 4.1 लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन- तंत्र

**लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता**

- सभी पक्षकारों से संबंधित लेनदेनों तथा इसके पश्चात सामग्री में संशोधन के लिए सूचीबद्ध इकाईयों की लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा । जैसा कि प्रावधान है कि केवल लेखापरीक्षा समिति के ऐसे सदस्य जो स्वतंत्र निदेशक है, संबंधित पक्षकार के लेनदेन का अनुमोदन करेंगे।

- संबंधित पक्षकार के लेनदेन के लिए सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी एक पक्ष है लेकिन सूचीबद्ध इकाई एक पक्षकार नहीं है, यदि इस प्रकार के लेनदेन का मूल्य जिसे अलग से या वित्त वर्ष के दौरान पूर्व में किया गया लेनदेन वार्षिक संमेकित टर्नओवर के, सूचीबद्ध इकाई के लेखापरीक्षित विवरण के अनुसार दस प्रतिशत से अधिक होता है, तो सूचीबद्ध इकाई की लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

- 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी, संबंधित पक्षकार के लेनदेन के लिए सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी एक पक्षकार है लेकिन सूचीबद्ध इकाई एक पक्ष नहीं है, यदि इस प्रकार के लेनदेन का मूल्य जिसे अलग में या वित्त वर्ष के दौरान पूर्व में किया गया लेनदेन वार्षिक संमेकित टर्नओवर के, सूचीबद्ध इकाई के लेखापरीक्षित विवरण के अनुसार दस प्रतिशत से अधिक होता है, तो सूचीबद्ध इकाई की लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

**4.1.1 लेखा परीक्षा समिति को उपलब्ध करवाये जाने वाला विवरण**

संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेनों में प्रविष्टि हेतु लेखा परीक्षा समिति को निम्न विवरण/सूचना उपलब्ध करवानी होगी:-

क. संबंधित पक्षकार का नाम तथा सूचीबद्ध इकाई एवं इसकी सहायक कंपनी के साथ इसका संबंध या जिसमें इसके संबंध या लाभ (वित्तीय या अन्य) लेने देन की अवधि, लेनदेन की अधिकतम धनराशि जिसकी इसमें प्रविष्टि की जा सकती है।

ख. संविदा या व्यवस्था विशेष का उल्लेख जिसमें सामग्री निबंधन या मूल्य भी शामिल है यदि कोई हो।

ग. प्रस्तावित लेनदेन की अवधि (विशिष्ट अवधि को विनिर्दिष्ट किया जाएगा)

घ. प्रस्तावित लेनदेन की कीमत ।

ङ. संविदा या व्यवस्था के लिए भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया अग्रिम, यदि कोई है।

च. मूल्य निर्धारण की तरीका( आधार मूल्य /वर्तमान संविदा का मूल्य तथा मूल्य में उतार-चढ़ाव का फार्मूला यदि कोई है) तथा अन्य वाणिज्यिक निबंधन, संविदा के भाग के रूप में तथा जिसे संविदा का भाग न माना गया हो दोनों को शामिल किया जाए।

छ. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (और आरपीटी के लिए एक सहायक कंपनी को शामिल करने, इस तरह के प्रतिशत की गणना सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर स्टैंडअलोन बेसिस पर, अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा)।

ज. यदि लेने देन किसी ऋण, अंतर कारपोरेट जमा, सूचीबद्ध इकाइयों या इनकी सहायक कंपनी के द्वारा जमा किया गया, अग्रिम /निवेश से संबंधित है।

i. प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण।

ii. जहां कोई वित्तीय ऋणगस्तता, ऋण बनाने या देने, इंटर कारपोरेट जमा, अग्रिम या निवेश के रूप में होती है।

- ऋणग्रस्तता की प्रकृति।
- कोष की लागत; तथा
- अवधि ।

iii. कावीनेंट, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति, और

iv. जिस उद्देश्य के लिए संबंधित पक्षकार लेनदेन के अनुसार इस तरह के फंड के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाना है।

झ. आरपीटी सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य।

ण. मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्षकार रिपोर्ट की एक प्रति, यदि ऐसी कोई रिपोर्ट है जिस पर भरोसा किया गया है।

ट. प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है।

ठ. कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है।

लेखा परीक्षा समिति दीर्घ अवधि के(एक वर्ष से अधिक अवधि के) या पुनरावर्ती वाले आरपीटी विवरणों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करेगी ।

**4.1.2 सर्वमान्य अनुमोदन**

लेखापरीक्षा समिति निम्न शर्तो के अध्यधीन संबंधित पक्ष के लेनदेनों के लिए सर्वमान्य अनुमोदन प्रदान करेगी :-

1. लेनदेन प्राय:/नियमित/पुनरावृत्त प्रकृति का है तथा कंपनी व्यवसाए के सामान्य कार्यो में से है।
2. लेखापरीक्षा समिति स्वयं इस बात के लिए संतुष्ट होनी चाहिए की सर्वमान्य अनुमोदन की मांग कंपनी हित में है।
3. सर्वमान्य अनुमोदन में विनिर्दिष्ट होगा :-

(i) संबंधित पक्षकार का नाम, लेनदेन की प्रकृति, लेनदेन की अवधि तथा लेन देने की अधिकतम राशि जिसकी प्रविष्टि की जा सकती है।

(ii) सांकेतिक आधार मूल्य/वर्तमान अनुबंधित मूल्य तथा वैरिएशन के लिए प्रयोग होने वाला तरीका यदि कोई है, और

(iii) इस प्रकार की अन्य शर्ते जैसा कि लेखापरीक्षा समिति को उचित समझे।

बशर्ते कि जहां संबंधित पक्षकार के लेनदेन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और पूर्वोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखा परीक्षा समिति ऐसे लेनदेन के लिए जिसका मूल्य प्रति लेनदेन 1.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है को सर्वमान्य अनुमोदन प्रदान कर सकती है।

4. लेखापरीक्षा समिति कंपनी द्वारा प्रत्येक सर्वमान्य अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु प्रविष्ट किए गए आरपीटी विवरणों की कम से कम तिमाही आधार पर समीक्षा करेगी।
5. सर्वमान्य अनुमोदन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए मान्य नहीं होगा, अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने पर समाप्त होने वाले अनुमोदन के लिए नया अनुमोदन आवश्यक है।
6. सर्वमान्य अनुमोदन कंपनी के उपक्रम को बेचने या निपटान करने के लेनदेन के लिए नहीं किया जाएगा।

### 4.1.3 लेखापरीक्षा समिति द्वारा विचार

अनुमोदन प्रदान करते हुए लेखा परीक्षा समिति परस्पर निम्न तथ्यों पर विचार कर सकती है :-

क. लेन देन की शर्तो, लेनदेन का व्यवसायिक उद्देश्य, कंपनी एवं संबंधित पक्षकार के लाभ सहित सभी प्रासंगिक तथ्य

ख. क्या संबंधित पक्षकार के लेन-देन की शर्तें कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और लेन-देन में प्रवेश करते समय आर्मस लेंथ बेसिस पर हैं।

ग. संबंधित पक्षकार लेन देन में प्रवेश करने का कंपनी के लिए व्यवसायिक कारण एवं वैकल्पिक लेन देन की प्रकृति, यदि कोई है ।

घ. कृपया संबंधित पक्षकार लेन देन कंपनी की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा या कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के समक्ष हितो का मतभेद उत्पन्न करेगा । अन्य कोई मामला, जिसे लेखा परीक्षा समिति संबंधित समझे ।

## 4.2 बोर्ड एवं हितधारकों का अनुमोदन - तंत्र

### 4.2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत

विनिर्दिष्ट संबंधित पक्ष लेन देन के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अनुसार संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत इसे लागू नियमों के साथ पढ़ा जाए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित अनुसार निदेशक मंडल और/ या हितधारकों का निम्नानुसार पूर्व अनुमोदन चाहिए:-

क. **बैठक में निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन:-** ऐसा लेन देन जो सामान्य प्रकार के व्यवसाए का या ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस का नहीं है

ख. **संकल्प के रूप में हितधारकों का पूर्व अनुमोदन:** ऐसा लेन देन जो सामान्य प्रकार के व्यवसाए का या ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस का नहीं है तथा जो निम्न थ्रेशहोल्ड सीमा से परे हैं :-

| **क्र. सं.** | **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आरपीटी** | **हितधारकों के अनुमोदन हेतु सीमा रेखा** |
|---|---|---|
| **क.)** | सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति | धारा 188 के उप खण्ड (क) एवं खण्ड (ई) में उल्लिखित अनुसार क्रमश: 10 प्रतिशत की धनराशि होने या कंपनी का टर्नओर अधिक होने पर |
| **ख.)** | सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी प्रकार की सम्पत्ति की बिक्री, नष्टीकरण या खरीद | धारा 188 के उप खण्ड (ख) एवं खण्ड (ड़) में उल्लिखित अनुसार क्रमश: 10 प्रतिशत की धनराशि होने या कंपनी का निवल मूल्य अधिक होने पर |
| **ग.)** | किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को लीज पर देना | धारा 188 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित अनुसार क्रमश: 10 प्रतिशत की धनराशि होने या कंपनी का टर्नओवर अधिक होने पर |
| **घ.)** | सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी सेवाओं का लाभ उठाना या प्रदान करना | धारा 188 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) एवं खण्ड (ड़) में उल्लिखित अनुसार क्रमश: 10 प्रतिशत की धनराशि होने या कंपनी का टर्नओवर अधिक होने पर |
| **ङ.)** | कंपनी, इसकी सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी के लाभ के लिए इससे संबंधित इकाई के किसी कार्यालय या स्थान समयादेश | मासिक खर्च 2.5 लाख रुपये से अधिक होना |
| **च.)** | किसी कंपनी की प्रतिभूतियों की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पारिश्रमिक या उसके डेरिवेटिव | निवल मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक होने पर |

**स्पष्टीकरण**

- उप-खंडों क) से घ) में निर्दिष्ट सीमाएं लेनदेन या लेनदेनो के लिए या तो पृथक रूप से दर्ज किए जाने के लिए लागू होंगे या पिछले एक वित्तीय वर्ष के दौरान के लेनदेनो को एक साथ लिया जाएगा।

- टर्नओवर या नेटवर्थ की गणना पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षि वित्तीय विवरण के आधार पर की जाएगी ।

**4.2.2 एसईबीआई, एलओडीआर, 2015 के अनुसार**

पक्षकार लेनदेन से संबंधित सभी सामग्री हेतु अंशधारकों का अनुमोदन संकल्पों के रूप में आवश्यक है। हालांकि, अंशधारकों के अनुमोदन से पूर्व इस पर निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। लेन-देन को सामग्री माना जाएगा यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ किए गए सभी लेनदेन सेबी एलओडीआर, 2015 के तहत विनिर्दिष्ट अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक हैं।

**4.2.3 विवरण बोर्ड एवं अंशधारकों को उपलब्ध करवाया जाएगा :**

उपर्युक्त 4.1.1 में लेखा परीक्षा समिति को उपलब्ध करवायी गई सूचना संबंधित पक्षकार लेन देन के अनुमोदन हेतु बोर्ड को भी उपलब्ध करवायी जाएगी । प्रस्तावित आरपीटी के अनुमोदन के लिए शेयरधारकों को भेजे जाने वाले नोटिस में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षाओं के अतिरिक्त व्याख्यात्मक विवरण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी।

संबंधित पक्षकार लेनदेन के अनुमोदन हेतु अंशधारकों को निम्न सूचना उपलब्ध करानी होगी

- संबंधित पक्षकार का नाम ।
- संबंधित निदेशक या केएमपी का नाम, यदि कोई
- संबंध का रूप
- संविदा या व्यवस्था की प्रकृति, सामग्री शर्त, मौद्रिक मूल्य एवं विवरण
- उपर्युक्त बिन्दु 4.1.1 में विनिर्दिष्ट अनुसार सूचीबद्ध इकाईयों को प्रबंधन द्वारा प्रदान की सूचना का सारांश
- औचित्य की किस प्रकार प्रस्तावित लेनदेन सूचीबद्ध इकाइयों के हित में है।
- काउंटर पार्टी के वार्षिक समेकित टर्नओवर का प्रतिशत जो कि प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा निकाला जाता है, स्वेच्छिक आधार पर ।
- प्रस्तावित संकल्प पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों हेतु संबंधित एवं महत्वपूर्ण अन्य कोई सूचना।

**4.3 एसईबीआई एलओडीआर, 2015 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुमोदन प्रक्रिया का सारांश**

| **लेनदेन का विवरण** | **अनुमोदन प्राधिकारी** |
|---|---|
| सभी संबंधित पक्ष लेनदेन एवं इसके उपरांत के संशोधन | लेखा परीक्षा समिति |
| उपर्युक्त 4.2.1 पर दिए गए **आरपीटी** जो कि व्यवसाए का सामान्य रूप नहीं है या आर्म्स लेंथ बेसिस या दोनों नहीं है(थ्रेशहोल्ड लिमिटों से कम) | बोर्ड हेतु लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन एवं संस्तुति<br>बोड द्वारा अनुमोदन |

| | |
|---|---|
| उपर्युक्त 4.2.1 पर दिए गए **आरपीटी** जो कि व्यवसाए का सामान्य रूप नहीं है या आर्म्स लेंथ बेसिस या दोनों नहीं है(थ्रेशहोल्ड लिमिटों से परे) | बोर्ड हेतु लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन एवं संस्तुति;<br>अंशधारको हेतु बोर्ड का अनुमोदन एवं संस्तुति और |
| उपर्युक्त 4.2.2 पर दिए गए **मैटेरिया आरपीटी** | संकल्प के माध्यम से अंशधारकों का अनुमोदन एवं संस्तुति |

**5. कंपनी अधिनियम, 2013 एवं एसईबीआई एलओडीआर, 2015 के अंतर्गत छूट**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अंशधारकों द्वारा संकल्प पास करने की आवश्यकता एवं लेखा परीक्षा समिति तथा अंशधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता लागू नहीं होगी ।

क. लेनदेन के लिए प्रविष्ट किए गए धारक कंपनी एवं इसकी पूर्णतया अपनी सहायक कंपनी के मध्य जिसके लेखे इस प्रकार की धारक कंपनी के द्वारा समेकित किए गए एवं आम बैठक में अनुमोदन हेतु अंशधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों

ख. सरकारी कंपनी जो संविदा एवं व्यवस्था के संबंध में किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं ।

ग. दो पूर्णतया अपनी सहायक सूचीबद्ध धारक कंपनियों के मध्य प्रविष्ट लेनदेनों, जिसके लेखे इस प्रकार की धारक कंपनी के द्वारा समेकित किए गए एवं आम बैठक में अनुमोदन हेतु अंशधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों ।

**6. मतदान**

संबंधित पक्षकर के तहत आने वाली संस्थाए/सदस्य विशिष्ट लेनदेन को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेंगें चाहे वह इसके पक्ष में हों या नहीं हों।

**7. संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुसमर्थन**

(क) यदि संबंधित पक्षकार लेनदेन में प्रवेश करने के लिए लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों की अग्रिम स्वीकृत नहीं है एवं संबधित पक्षकार लेनदेन के संबंध में यह पुष्टि आवश्यक हो तो यह लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों द्वारा 3(तीन) माह के भीतर की जाएगी।

(ख) जहां किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा कोई अनुबंध या व्यवस्था जहां समाधान बिना बोर्ड की सहमति से सामान्य बैठक में किया जाता है और बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, यदि बोर्ड द्वारा या शेयरधारकों द्वारा किसी भी विषय में की गयी बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर इस तरह

का अनुबंध या व्यवस्था किसी निदेशक से सबंधित पक्षकार के साथ अधिकृत है या किसी अन्य निदेशक द्वारा, संबंधित निदेशक कंपनी के खिलाफ होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करेंगे।

(ग) किसी भी मामले में जहां या तो लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारक संबधित पक्षकार के लेनदेन को जो कि बिना अनुमोदन के प्रारम्भ किया गया था लेनदेन को संशोधित कर अनुसमर्थन के लिए स्वीकार्य बनाने के तत्काल बंद करने सहित अतिरिक्त कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं होगा। संबधित पक्षकार लेनदेन की समीक्षा के संबंध में, लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों को किसी भी संशोधन या छूट का अधिकार है जो कि कंपनी के सर्वोत्तम हित में इस नीति की आावश्यकता के अनुसार है।

**8. प्रकटीकरण**

(क) प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था संबधित पक्षकार के अनुमोदनपरांत प्रारंभ की गयी है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में इस औचित्य के साथ संदर्भित किया गया है कि बोर्ड/शेयरधारक होंगे।

(ख) संबधित लेनदेन पक्षकार से संबधित भंडारण सामग्री का विवरण कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन रिपोर्ट के साथ त्रैमासिक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा ।

(ग) कंपनी संबधित लेनदेन पक्षकार से व्यावहारिक नीति का प्रकटीकरण अपनी वेबसाइट पर करेगी और वार्षिक रिपोर्ट में उसका एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

(घ) व्यवहारिक रूप से सबंधित पक्षकार एवं कारपोरेट लेनदेन में बडे पैमाने पर कंपनी के हितों को लेकर संभावित संघर्ष हो सकता है।

(ड) प्रथम एस 24 के तहत अपेक्षित वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण।

(च) कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी संबधित पक्षकार के साथ सभी अनुबंधों या व्यवस्थाओं के विवरण प्रदान करने के लिए एक से अधिक रजिस्टर रखेगी।

(छ) कंपनी अर्धवार्षिक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम के साथ, संबधित पक्षकार लेनदेन के प्रकटीकरण को समेकित आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक परिणामों के लिए प्रासंगिक लेखा मानकों में निर्दिष्ठ प्रारूप में प्रस्तुत करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

**9. स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विनियम**

सभी संबधित लेनदेन पक्षकार जहां भी योग्य हो घरेलू /आयकर अधिनियम, 1961 की अंतर्राष्ट्रीय अंतरण मूल्य निर्धारण की आवश्यकता के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की अंतर्राष्ट्रीय अंतरण मूल्य

निर्धारण आवश्यकता, जिसमें अंतरण मूलधन विनियमों के तहत स्वतंत्र लेखाकारों से प्रमाणीकरण शामिल है।

**10. अस्वीकरण**

उपरोक्त नीति में किसी भी मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर, 2015 या किसी अन्य नियम या विनियम के तहत या उसके अपने द्वारा बनाए गए कोई नियम या विनियम कानून का क्रियान्वयन वैधानिक अधिनियमन, अधिनियमित कानून/नियम/विनियम/ प्रावधान की उपरोक्त नीति पर प्रभवी है। सूची में बाद मे किये गये कोई भी संशोधन/ परिवर्तन विनियम, अधिनियम और/या लागू कानून स्वत: ही इस पर लागू होंगे।